न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2025/682
मिसल नम्बर–126 / 2025

1.वीरपाल कौर पत्नी स्व0 कुलवन्त सिंह जाति जट सिक्ख
2.गुरकीरत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह जाति जट सिक्ख विकृतचित व मानसिक दोर्बल्य जर्ये वादमित्र व संरक्षक माता श्रीमती वीरपाल कौर पत्नी श्री कुलवन्तसिंह
3.हर्षवीर कौर पुत्री कुलवन्त सिंह जाति जट सिक्ख
निवासीगण पुलिस लाईन कोटा हाल निवासी कग फार्म हाउस वॉर्ड नम्बर 11 सरस्वती पैलेस के सामने कालातालाब कोटा राजस्थान

प्रार्थीगण।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 29/5/26

उपस्थितिः–
1.श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब पटवार हल्का डडवाडा भू0अभि0नि0 क्षैत्र लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में प्रार्थी क्रम 1 की रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 386 / 1 की रकबा 1.85 है0 नहरी प्रथम प्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 की शामलाती खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 386 की रकबा 1.92 है0 स्थित चली आ रही है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 386 की रकबा 1.2 है0 व खसरा नम्बर 386 / 1 है मौके व राजस्व नक्शे में एक दूसरे से लगवा एक ही चक के रूप में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी उक्त खसरा नम्बर 386 के दक्षिणी मेर ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 की भूमि खसरा नम्बर 45 व 122 से लगी हुई है। किन्तु मौके पर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे के अनुसार मौके पर सीमाज्ञान व

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सीमा चिन्ह स्पष्ट ना होने के कारण प्रार्थी की अप्रार्थी से सीमा संबंधी विवाद की स्थिति बनती है और प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित अपनी रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जेकाश्त की उक्त कृषि आराजीयात का समुचित उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है और ना ही अपनी भूमि पर कोई स्थाई सीमा चिन्ह व पत्थरगढ़ी कर पा रहे है। जिसके कारण प्रार्थी की रिकॉर्डेड खातेदारी की उक्त कृषि आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब पटवार हल्का डडवाडा भू0अभि0नि0 क्षैत्र लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित प्रार्थी क्रम 1 की रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 386/1 की रकबा 1.85 है0 नहरी प्रथम प्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 की शामलाती खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 386 की रकबा 1.92 है0 का राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने और इस हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस उपरान्त पत्रावली में निहित दस्तावेंज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब पटवार हल्का डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नं0 386 रकबा 1.92 है0 एवं खसरा नं0 386/1 रकबा 1.85 है0 भूमि की पत्थगढ़ी की जावे एवं पत्थरगढ़ी के दौराने निम्न बिन्दु अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे–

1 प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सभी पक्षकारों की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे।

2 यदि कोई भी कदीमी/प्रचलित या स्थायी रास्ता प्रचलन में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।

3 यदि कोई धोरा या जलनिकासी का मार्ग हस्तगत आराजी में है तो पत्थरगढ़ी से बाधित नहीं किया जा सकेगा।

4 यदि मौके पर भूमि कम है तो पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।

5 यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो पत्थगढी की कार्यवाही नही करते हुये पक्षकार को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जावे।

निर्णय आज दिंनाक:...29/5/26.......को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा